


नय ..... उपखण्ड अधिकारी, धौद जिला सीकर  
 र ..... गुन्नावराज बनाम ..... कोरेग हाल काँड  
 नं. .... प्रा.प. २२२५३३ ..... क्र. - १५/२०२५

०१/१२/२५

पत्रावली पेश हुई। वहील  
 उभयपक्ष अनु. पत्रावली का  
 अवलोकन किया गया। पत्रावली से  
 संबंधित मूल बाद से खारिज  
 किया जाऊ प्रिनिट किया जा चुका  
 है। अतः हस्तगत पत्रावली का  
 भागे चलने का कोई औचित्य  
 नहीं है प्रिण्ट काटण से पत्रावली  
 इसी स्तर पर खारिज किया जा  
 केभादेश दिया जाते हैं। पत्रावली  
 कुसल शुमाड होऊ बाद तकमील  
 दाखिल करतु है।



उपखण्ड अधिकारी  
 धौद जिला-सीकर

